


मध्य प्रदेश शासन
सानान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
मध्यप्रदेश



गोपाल, दिनांक 31 जनवरी, 2012

क्रमांक एफ ए 3-28/2012/एक (1) राज्य शासन एतद् हारा मध्य प्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम के भाग एक की कण्ठिका 6 के तहत मध्य प्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम 2008 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत निवेश प्रस्तावों पर कस्टमाईज पैकेज प्रदान करने हेतु निमानुसार "निवेश संदर्भ पर मंत्रि-परिषद् समिति" का गठन करता है। इस समिति को मंत्रि-परिषद् की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

1	श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री राज्यान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं है	अध्यक्ष
2	श्री राघवजी मंत्री वित्त, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी, वाणिज्यिक कर	सदस्य
3	श्री केलाश विजयवर्गीय, मंत्री ताजिज्य, सद्योग और रोजगार, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और टैक्नालॉजी, सार्वजनिक उपकरण, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग	सदस्य

- 2/ उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त संबंधित अन्य विभागों के मंत्री उनके विभाग से संबंधित बिन्दु विचाराधीन होने पर समिति के सदस्य होंगे। इस हेतु उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया जा सकेगा।
- 3/ मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन इस समिति के सचिव होंगे।
- 4/ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग इस समिति के सह-सचिव होंगे।
- 5/ राज्यपरिषत् नियमों के अन्दर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/मानित वा समिति के अन्दर संभालने के लिए उपर्युक्त दस्तावेज़ दृष्टिभूत होंगे।

6/ नियेष संवर्धन पर गंति-परिषद रसमिति के कार्य संपादन हेतु निर्धारित प्राक्षेपिता
संलग्न परिशिष्ट - 'अ' अनुसार होगी ;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

रथा आदेशानुसार

मृ

(वी.आर.विश्वकर्मा)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ ए 3-28/2012/एक (1)
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी, 2013

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, भोपाल,
2. प्रमुख राज्यमंत्री, न.प्र. भोपाल,
3. निज सचिव, संबंधित मंत्री, म.प्र. भोपाल,
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय,
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र.शासन, समर्त विभाग, मंत्रालय,
भोपाल।
6. सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.भोपाल।
7. आयुक्त, जनसंपर्क, वाणिज्य, भापाल।
8. सदायक सचालक, जनसंपर्क म.प्र. मंत्रालय, भोपाल।
9. अवर सचिव, (रथा) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन की ओर सामान्य प्रशासन
की बेवराइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

को ओर सूचनार्थ अग्रेसित।

मृ

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 16-10/2012/वी-र्याह
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक /02/2013

1. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश
2. म.प्र. ड्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि/म.प्र. स्टेट इण्डरिट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमि., भोपाल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

विषय- मध्य प्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत निवेश प्रस्तावों पर कस्टमाइज पैकेज प्रदान करने हेतु मंत्रि-परिषद् समिति के कार्य संपादन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण ।

मध्य प्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 की धारा 20 (1) के यह प्रावधान है कि “राज्य सरकार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए पूर्व प्रकाशन के अध्यधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।” उक्त प्रावधान अन्तर्गत मंत्रि-परिषद् समिति के कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया दा निर्धारण प्रस्तावित है :-

1. मैगा औद्योगिक उपकरण के परिप्रेक्ष्य में ‘कस्टमाइज्ड पैकेज’ जिसके अन्तर्गत भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरण भी समिलित होंगे, के लिये निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद् समिति हेतु नामांकित नोडल एजेंसी “गद्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्प्रेस्टमेंट फेशिलिटेशन कार्पोरेशन लि. (ट्राइफेक) में निर्धारित प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने पर ‘ट्राइफेक’ द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संक्षेपिका तैयार की जावेगी।

2. अन्य सेक्टर से संबंधित मैगा निवेश परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में कस्टमाइज पैकेज जिसके अन्तर्गत भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरण भी समिलित होंगे, के लिए संबंधित विभाग में निर्धारित प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने पर संबंधित विभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संक्षेपिका तैयार की जावेगी।

3. मैगा निवेश परियोजना के परिप्रेक्ष्य में नोडल एजेंसी(ट्राइफेक) / संबंधित विभाग के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ सामान्यतः निम्नानुसार सहपत्र प्रस्तुत किये जायेंगे -

- निर्धारित आवेदन शुल्क
- आवेदक कम्पनी का ‘प्रोफाइल’
- आवेदन द्वारा दृष्टि

निधारिति प्रपत्र मे जनरल प्रोजेक्ट इन्फारेन्स

- कम्पनी दी विगत् ३ वर्षों की 'ऑडिटेड बैलेंस शीट'
- आवेदक कम्पनी का 'मेमोरेण्ड एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन'
- परियोजना हेतु वांछित 'करटमाइज्ड पैकेज' से राज्य शासन को होने वाली वित्तीय आलिप्ति का परिमाण
- परियोजना की स्थापना से राज्य शासन का होने वाले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभ का विवरण
- आवश्यकतानुसार प्रस्तावित परियोजना के परिप्रेक्ष्य मे इण्डिस्ट्रियल एंटरप्रिन्योरशिप मेमोरेण्डम पार्ट-१'
- अन्य वांछित सहपत्र जो नोडल एजेंसी/संबंधित विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार मांगे जावे।

4. ट्राइफेक द्वारा तैयार संक्षेपिका पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा मंत्री, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित विभागों से अभिमत प्राप्त करने हेतु परिचालित किया जावेगा।

5. अन्य सेक्टर से संबंधित निवेश परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में संबंधित विभाग द्वारा तैयार संक्षेपिका पर विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर विभागों से अभिमत प्राप्त करने हेतु परिचालित किया जावेगा।

6. संबंधित विभागों से यह अपेक्षा रहेगी कि वे समिति के समक्ष प्रस्तुत होने वाली संक्षेपिकाओं में 15 दिवस के अंदर अभिमत उपलब्ध करावें। बैठक दिनांक से 7 दिवस पूर्व तक विभागों से प्राप्त अभिमत एवं उस पर आवश्यकतानुसार विभागीय टीप को संक्षेपिका में सम्मिलित किया जावेगा, इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले अभिमत को संक्षेपिका में परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।

7. उस रिथ्टि में जहां प्रशासकीय विभाग के प्रस्ताव पर वित्त, विधि या किसी अन्य विभाग (विभागो) के मतभेद हों, वहां असहमत होने वाले विभाग द्वारा बतायी गई रिथ्टि वज रप्टर रूप से कथन करते हुए मतभेद के मुददे संक्षेपिका में स्पष्टतः दर्शित किये जाने चाहिए। संक्षेपिका में किसी मान्यते पर निष्पक्ष उगसंहार अंतर्विष्ट रहेगा, उसके अंतिम पैरां में वे विचारणीय मुददे रहेंगे, जिन पर समिति वा निर्णय अपेक्षित है;

१०

अन्य सेक्टर से संबंधित निदेश परिलोजनाओं के परिवेद्य में संबंधित विभाग चारा तैयार दी गई संक्षेपिका (अन्य विभागों से प्राप्त अभियुक्त सहेत) को विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा निदेश संर्धन पर मंत्रि-परिषद् समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु इस परिवेद्य में नामांकित नोडल एजेंसी मु.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट कंसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि.(ट्राइफेक) को प्रेषित किया जावेगा।

९ संक्षेपिकाएं समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व समिति के समियोग में संक्षेपिका कार्यसूची पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा। किसी भी पर्यायसूची को चाहे वह कितनी भी आवश्यक हो, मुख्यमंत्री की गंजूरी की प्रत्याशा में समिति की बैठक में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

10. अत्याधिक आवश्यक प्रकरण के अतिरिक्त कोई भी प्रकरण तब तक समिति की बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया जावेगा, जब तक की संबंधित समस्त अभिलेख बैठक होने के कम से कम 2 दिवस पूर्ण सभी सदरयों को उपलब्ध नहीं कराये गये हों। तथापि मुख्यमंत्री आवश्यकतानुसार प्रकरण को कार्यसूची में सम्मिलित करने के निर्देश दे सकेंगे।

11. मुख्यमंत्री से कार्यसूची के अनुमोदन उपरांत समिति का सचिव/सह-सचिव समिति के सदस्यों तथा आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्रितों को बैठक की कार्यसूची प्रेषित करेगा।

12. समिति हेतु नामांकित सदरयों के अतिरिक्त अन्य संबंधित विभागों के मंत्री उनके विभाग से संबंधित बिन्दु विचाराधीन होने पर समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। कार्य संपादन में सहायता की दृष्टि से संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव भी समिति की बैठक में उपस्थित होंगे।

13. समिति का कोई संदर्भ यदि प्रवास पर हो तो कार्य सूची रांबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को भेजी जावेगी। यदि वो यह समझते हैं कि प्रकरण पर चर्चा करने के लिये मंत्री की वापसी की प्रतीक्षा अपेक्षित है तो वह समिति के सचिव से अनुरोध करेंगे कि वह मंत्री की वापसी तक मामले पर चर्चा रथगित रखने के संबंध में मुख्यमंत्री से आदेश प्राप्त करें।

14. समिति के स्थाई संदर्भ बैठक में व्यवित्रण: उपस्थित होंगे और उनको अनुपस्थिति में वह विनाश अन्य को प्राधिकृत नहीं कर सकेंगे।

15. "निवेश संवर्धन पर मंत्री-परिषद् समिति" द्वारा किये गये विनियोग समस्त सरकारी विभागों या प्राधिकारियों और वाध्यकारी द्वारा किया जाएगा। प्राधिकारी अपेक्षित समाशोधन तथा अनुज्ञा निरियत समय-सीमा वे नीति जारी करेंगे। "निवेश संवर्धन पर मंत्री-परिषद् समिति" द्वारा लिये गये निर्णयों की पुष्टि तथा उसके पालन हेतु अन्य किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

- (क) "निवेश संवर्धन पर मंत्री-परिषद् समिति" का सचिव समिति को बैठक में लिये गये निर्णयों का कार्य विवरण प्रत्येक दैडक के पश्चात् तैयार करेगा। उन सदरओं/विशेष आमंत्रितों के नाम जो दैडक में उपस्थित थे, का कार्य विवरण में समावेश किया जावेगा।
- (ख) कार्य विवरण का प्रारूप समिति के सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिये प्रेषित किया जावेगा। अनुमोदन के पश्चात् उसकी प्रति प्रत्येक सदस्य/विशेष आमंत्रित सदस्य को उपलब्ध कराई जावेगी।
- (ग) यादे निर्णयों में कोई संशोधन सुझाये जाते हैं तथा मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं, तो समिति के सचिव/सह-सचिव एक शुद्धि पत्र जारी करेंगे एवं आवश्यकतानुसार कार्य विवरण की पुनराक्षित प्रति जारी करेंगे।
- (घ) कार्य विवरण की एक प्रति राज्यपाल के पास भी प्रेषित की जावेगी।
- (ङ) कार्य विवरण जारी होने के पश्चात् लाइज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा सुविधा स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा।


(बी.आर.विश्वकर्मा)

उप्र सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग